

एमआईएस डीएलएफ हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, और

दूसरा,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य -प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. नहीं। 2006 का 13298

28 मई, 2007

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 220—हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975-एस. 24-हरियाणा शहरी क्षेत्र का विकास एवं विनियमन नियम, 1976-आर.एल. 13-हरियाणा शहरी क्षेत्रों का विकास और विनियमन (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2005—कंपनी ने एक की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किया। भूमि उपयोग में परिवर्तन के बाद वाणिज्यिक कॉलोनी- लाइसेंस का नवीनीकरण अनुसूची में निर्धारित नवीनीकरण शुल्क के भुगतान पर समय-समय पर आरएल. 1976 के 3 नियम-बढ़े हुए/अतिरिक्त लाइसेंस नवीनीकरण की मांग शुल्क-चुनौती - अधिसूचना दिनांक 1 सितंबर, 2003 लाइसेंस शुल्क की शुरू की गई दर संलग्न अनुसूची में 'निर्धारित' है। 1976 नियम- अनुसूची में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं हो रहा। संशोधन- क्या मंत्रिपरिषद को अधिकार प्राप्त है। 1976 नियमों द्वारा निर्धारित लाइसेंस शुल्क में परिवर्तन करने के लिए - आयोजित, नहीं - कोई कार्यकारी नहीं प्राधिकरण लाइसेंस शुल्क की दरों को बढ़ा-चढ़ाकर बता सकता है - केवल 'निर्धारित' शुल्क 1975 अधिनियम की धारा 24-एस द्वारा निर्धारित निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। 24 में प्रावधान है कि नियम बनाने की सभी शक्तियाँ राज्य सरकार के पास निहित हैं और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नियमों को निर्धारित करना आवश्यक है। राज्य विधानमंडल के समक्ष जो संशोधनों को प्रभावित कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित या मानद रूप से अनुमोदित नियम हैं। केवल उनके प्रकाशन और अधिसूचना पर ही लागू किया जा सकता है। प्रतिवादी नियमों के अनुसार 'निर्धारित' लाइसेंस शुल्क ले सकते हैं और ऐसा ही कर सकते हैं। निम्नलिखित दो द्वारा नियमों में किए गए संशोधन द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। 1975 अधिनियम की धारा 24 के तहत परिकल्पित अनिवार्य सामग्री - चूंकि ही कोई अधिसूचना या पूर्व प्रकाशन हुआ था। सत्यापन के साथ संलग्न अनुसूची में प्रदान की गई दरों का सम्मान खंड और न ही इन्हें सदन के समक्ष रखा गया था, राज्य की कार्रवाई सरकार द्वारा पूर्व में उक्त शुल्क वसूलने को गलत नहीं ठहराया जा सकता।—संशोधन के आधार पर न तो कोई अधिसूचना विषय इसके संबंध में पिछला प्रकाशन कभी नहीं किया गया है और न ही राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन-प्रतिवादियों के समक्ष रखे गए हैं। लाइसेंस शुल्क में भारी वृद्धि का कोई कारण बताने में असफल-याचिका आंशिक रूप से अनुमति दी गई, सत्यापन खंड हटा दिया गया, मेमो की आवश्यकता है। याचिकाकर्ताओं को अलग रखी गई अतिरिक्त लाइसेंस नवीनीकरण फीस जमा करनी होगी-हालांकि, संशोधन और मान्यता अधिनियम के आधार पर किए गए संशोधन को बरकरार रखा गया। माना गया कि सत्यापन खंड से पता चलता है कि की कार्रवाई सरकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित दरें वसूल रही है। सत्यापन खंड को वैध बना दिया जाता है जैसे कि उक्त दर वसूल की जाती है। 1976 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार, जो वास्तव में, गलत है। संशोधन के अवलोकन से ही पता चलता है कि यह अनिवार्य है। नियमों को बनाने/संशोधित करने की प्रक्रिया का पालन करने में सामग्री शुल्क 'निर्धारित' है जिसका अभी भी अनुपालन किया जाना बाकी है। चूंकि वहां न तो के संबंध में कोई अधिसूचना या पूर्व प्रकाशन था। सत्यापन खंड से जुड़ी अनुसूची में प्रदान की गई दरें न ही इन्हें राज्य की कार्रवाई, सदन के समक्ष रखा गया था। सरकार द्वारा पूर्व में उक्त शुल्क वसूलने को गलत नहीं ठहराया जा सकता।

(18) इसके अलावा, यह माना गया कि राज्य पाए गए कार्यों को पुनः मान्य कर सकता है केवल तभी अमान्य किया जाएगा यदि वह उस संबंध में बताए गए दोषों को दूर कर दे। संशोधन में शामिल किए जाने की मांग के अनुसार सत्यापन खंड दिनांक अधिनियम कि केवल धारा 24(1) और (3) में संशोधन किया गया है। 1976 नियमों की अनुसूची नहीं, जो 1976 का हिस्सा है। नियम, संशोधन एवं विधिमान्यकरण अधिनियम में केवल इसी

का उल्लेख है। जिन नियमों के तहत लाइसेंस शुल्क लिया जाना है, वे बनाए गए हैं। सत्यापन खंड और अनुसूची सत्यापन का हिस्सा बनते हैं। 446 आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 2007(2) खंड. किसी विशेष चीज़ में संशोधन करना और किसी विशेष को मान्य करना उक्त संशोधन के आधार पर कार्रवाई, दो अलग चीज़ें हैं। कोई संशोधन करके और हटाकर किसी कार्रवाई को मान्य कर सकता है। दोष. हालाँकि, यदि कोई विशेष कार्य किया जाना तय हो गया है। एक विशेष तरीके से और यहां तक कि एक संशोधन के आधार पर भी किसी विशेष कार्य को करने का तरीका वहीं बरकरार रखा गया है। बिना किए गए कार्यों का कोई सत्यापन नहीं हो सकता। उस प्रक्रिया और तरीके का पालन किया जो उन्हें करना आवश्यक है। न्यायिक समीक्षा संविधान की मूलभूत विशेषताओं में से एक है। सत्यापन खंड में अवैध रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। उत्तरदाताओं के कार्यों की न्यायिक समीक्षा की मांग करने का अधिकार। ऐसा एक शर्त न केवल मनमाना और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध असंवैधानिक है।

(पैरा 20)

इसके अलावा, यह माना गया कि उत्तरदाता कुछ भी देने में विफल रहे है शुल्क में रुपये से कथित वृद्धि का कारण। 50.00 लाख विधिवत दिनांक 1 सितंबर की अधिसूचना के आधार पर नियमों द्वारा निर्धारित, 2003 के लिए आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक/ऑफ़ी कॉम्प्लेक्स के संबंध में 175 एफएआर से रु. पुण्य में 2 करोड़ की बढ़ोतरी बताई गई ह। अधिसूचना दिनांक 13 सितंबर, 2005 के अनुसार। लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया गया। 1975 के तहत केवल एक शुल्क है, कर नहीं और इसकी बराबरी नहीं की जा सकती और राज्य के लिए राजस्व कमाने का जरिया बना लिया। वास्तव में, लाइसेंस शुल्क की इतनी अधिक दर वसूलने का विरोध किया जाता है। 1975 अधिनियम का उद्देश्य. 1975 का अधिनियम एक राजकोषीय कानून नहीं है। इसका उद्देश्य है केवल नियोजित विकास सुनिश्चित करने और बेतरतीबी से बचने के लिए हरियाणा राज्य में शहरों और उसके आसपास विकास। हालाँकि, प्रतिवादी अधिकारी अपनी सनक और पसंद के अनुसार 1975 अधिनियम के उद्देश्य की घोर अवहेलना और बिना किसी आधार के, लाइसेंस शुल्क बढ़ा रहा था और इस तरह दुरुपयोग कर रहा था। इसे आय अर्जन के लिए क़ानून में बदलने की शक्ति। विधायिका उस संबंध में अलग राजकोषीय क़ानून और प्रावधान प्रदान किए गए हैं। 1975 अधिनियम का उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 22)

ए.के. चोपड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, आशीष चोपड़ा, अधिवक्ता के साथ याचिकाकर्ताओं के हवा सिंह हुडा, महाधिवक्ता, अजय गुलाटी की सहायता से, हरियाणा के सहायक महाधिवक्ता के और मान्यता अधिनियम को इतना भी टिके रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किए गए संशोधन के आधार पर, दो अनिवार्य हैं। सामग्री अभी भी मौजूद है और बरकरार रखी गई है। इस प्रकार, वृद्धि लाइसेंस शुल्क में जैसा कि सत्यापन से जुड़ी अनुसूची में दर्शाया गया है। न तो किसी अधिसूचना के बाद से खंड में कानून का कोई बल नहीं है। इसके संबंध में पिछले प्रकाशन के अधीन कभी भी किया गया है। न ही उन्हें राज्य विधानमंडल के किसी सदन के समक्ष रखा गया है, जो राज्य सरकार को अनिवार्य रूप से ऐसा करना आवश्यक है।

(पैरा 19)

इसके अलावा, यह माना गया कि यह संशोधन से स्पष्ट है और मान्यकरण अधिनियम कि केवल धारा 24(1) और (3) में संशोधन किया गया है और 1976 नियमों की अनुसूची नहीं, जो 1976 का हिस्सा है। नियम। संशोधन एवं विधिमाम्यकरण अधिनियम में केवल इसी का उल्लेख है। जिन नियमों के तहत लाइसेंस शुल्क लिया जाना है, वे बनाए गए हैं। सत्यापन खंड और अनुसूची सत्यापन का हिस्सा बनते हैं। 446 आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 2007(2) खंड. किसी विशेष चीज़ में संशोधन करना और किसी विशेष को मान्य करना उक्त संशोधन के आधार पर कार्रवाई, दो अलग चीज़ें हैं। कोई संशोधन करके और हटाकर किसी कार्रवाई को मान्य कर सकता है। दोष. हालाँकि, यदि कोई विशेष कार्य किया जाना तय हो गया है। एक विशेष तरीके से और यहां तक कि एक संशोधन

के आधार पर भी किसी विशेष कार्य को करने का तरीका वहीं बरकरार रखा गया है। बिना किए गए कार्यों का कोई सत्यापन नहीं हो सकता। उस प्रक्रिया और तरीके का पालन किया जो उन्हें करना आवश्यक है। न्यायिक समीक्षा संविधान की मूलभूत विशेषताओं में से एक है। सत्यापन खंड में अवैध रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। उत्तरदाताओं के कार्यों की न्यायिक समीक्षा की मांग करने का अधिकार। ऐसा एक शर्त न केवल मनमाना और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध असंवैधानिक है।

(पैरा 20)

निर्णय, कि उत्तरदाता कोई भी देने में विफल रहे हैं। शुल्क में रुपये से कथित वृद्धि का कारण। 50.00 लाख विधिवत दिनांक 1 सितंबर की अधिसूचना के आधार पर नियमों द्वारा निर्धारित, 2003 के लिए आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक/ऑफ़ी कॉम्प्लेक्स के संबंध में 175 एफएआर से रु. पुण्य में 2 करोड़ की बढ़ोतरी बताई गई है। अधिसूचना दिनांक 13 सितंबर, 2005 के अनुसार। लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया गया। 1975 के तहत केवल एक शुल्क है, कर नहीं और इसकी बराबरी नहीं की जा सकती और राज्य के लिए राजस्व कमाने का जरिया बना लिया। वास्तव में, लाइसेंस शुल्क की इतनी अधिक दर वसूलने का विरोध किया जाता है। 1975 अधिनियम का उद्देश्य. 1975 का अधिनियम एक राजकोषीय कानून नहीं है। इसका उद्देश्य है, केवल नियोजित विकास सुनिश्चित करने और बेतरतीबी से बचने के लिए हरियाणा राज्य में शहरों और उसके आसपास विकास। हालाँकि, प्रतिवादी अधिकारी अपनी सनक और पसंद के अनुसार 1975 अधिनियम के उद्देश्य की घोर अवहेलना और बिना किसी आधार के, लाइसेंस शुल्क बढ़ा रहा था और इस तरह दुरुपयोग कर रहा था। इसे आय अर्जन के लिए कानून में बदलने की शक्ति। विधायिका उस संबंध में अलग राजकोषीय कानून और प्रावधान प्रदान किए गए हैं। 1975 अधिनियम का उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 22)

ए.के. चोपड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, आशीष चोपड़ा, अधिवक्ता के साथ हवा सिंह हुडा, महाधिवक्ता, अजय गुलाटी की सहायता से, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा के लिए उत्तरदाताओं मैसर्स डीएलएफ हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य वी. 447 हरवना राज्य और अन्य (एच.एस. भल्ला, जे.) प्रलय एच.एस. भल्ला, जे. (1) अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करना याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट में रिट जारी करने के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर करके 20 मई, 2005 के ज्ञापन/पत्र को रद्द करने की सर्टिओरी की प्रकृति (अनुलग्नक पी-5) उन्हें अतिरिक्त लाइसेंस नवीनीकरण जमा करने की आवश्यकता है। 10% की दर से शुल्क। 1 करोड़ प्रति सकल एकड़ के संबंध में 2.042 एकड़ भूमि के लिए ब्याज सहित वाणिज्यिक लाइसेंस अक्टूबर/5, 2004 से आज तक 18% वार्षिक दर पर नवीकरण शुल्क के अतिरिक्त भुगतान जो याचिकाकर्ता थे। निर्धारित शुल्क के 10% की दर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। याचिकाकर्ताओं अधिसूचना को रद्द करने के लिए रिट जारी करने की भी प्रार्थना की है। दिनांक 23 मई 2005 (अनुलग्नक पी-9) और अधिसूचना दिनांक भी 13 सितंबर, 2005 (अनुलग्नक पी-9) अवैध और अधिकारातीत है। भारत का संविधान और हरियाणा विकास और विनियमन शहरी क्षेत्र अधिनियम, 1975 के लिए। याचिकाकर्ताओं ने आगे प्रार्थना की है। उत्तरदाताओं को निर्देशित करने वाले परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करना याचिकाकर्ताओं को लाइसेंस चार्ज करके लाइसेंस का नवीनीकरण प्रदान करना जमा करते समय निर्धारित दर पर नवीनीकरण शुल्क लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन. (2) निस्तारण हेतु अन्य तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। याचिका यह है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जबकि याचिकाकर्ता नंबर 2 एक प्राइवेट लिमिटेड-कंपनी है। दोनों याचिकाकर्ता नियोजित शहरीकरण के व्यवसाय में लगे हुए हैं। भूमि को आवासीय कालोनियों आदि में विकसित करके उपनिवेशीकरण मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी के साथ सहयोग। कहा कि विकास हरियाणा विकास द्वारा संचालित है और शहरी क्षेत्रों का विनियमन अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "द" के रूप में संदर्भित किया गया है।) अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियम, यानी, हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों का विनियमन नियम, 1976 और इस उद्देश्य के

लिए, याचिकाकर्ताओं ने निदेशक, शहर और देश को आवेदन प्रस्तुत किए 1975 अधिनियम के तहत लाइसेंस देने के लिए योजना, हरियाणा अपनी भूमि का विकास करना। याचिकाकर्ता और सहयोगी कंपनियां थीं अलग-अलग वाणिज्यिक लाइसेंस दिए गए। निर्धारित प्रपत्र और स्थापना के लिए 2.42 एकड़ क्षेत्र को कवर किया गया गाँव वज़ीराबाद, जिला गुड़गांव में एक वाणिज्यिक कॉलोनी। इन 448 आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 2007(2) प्रावधानों के अनुरूप समय-समय पर लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जाता रहा। उचित आवेदन दायर करके 1975 अधिनियम और 1976 नियमों का पालन करें की अनुसूची में 'निर्धारित' लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क के साथ 1976 नियम। चूंकि उक्त लाइसेंस 14 नवंबर को समाप्त होने वाले थे। 2004, याचिकाकर्ताओं ने उक्त लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए फॉर्म में आवेदन किया। एलसी-VI और इसे 7 तारीख को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा विधिवत प्राप्त किया गया था। अक्टूबर, 2004। उक्त आवेदन के साथ, एक समेकित मांग ड्राफ्ट संख्या 238467 दिनांक 6 अक्टूबर 2004 रुपये के लिए। लाइसेंस के लिए 10.21 लाख रु नवीनीकरण शुल्क भी दिया गया, लेकिन नवीनीकरण की अनुमति देने के बजाय याचिकाकर्ताओं को उक्त लाइसेंस, प्रतिवादी नंबर 4 ने मेमो जारी किया, -वीडियो जिस पर याचिकाकर्ताओं को लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना आवश्यक था रुपये की दर रुपये का 10%। 1.0 करोड़ प्रति एकड़, जो रु. 20.42 लाख और इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करना आवश्यक था। 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 10.21 लाख रु 15 अक्टूबर 2004 से उक्त अतिरिक्त भुगतान की तिथि तक लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क। इसके जवाब में, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी को लिखा। क्रमांक 4 में कहा गया है कि बढ़ाए गए/की मांग करने का कोई औचित्य नहीं है। कथित के 10% की दर से अतिरिक्त लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क रुपये की बढ़ी दर 1.0 करोड़ प्रति सकल एकड़। आगे कहा गया। जवाब में कहा गया कि बढ़ोतरी के संबंध में कोई अधिसूचना नहीं है। वाणिज्यिक लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क रु. 50 लाख से रु. 1.0 करोड़ प्रति एकड़ और इसके अभाव में याचिकाकर्ताओं को नहीं बुलाया जा सका। इस दृष्टि से कि साइट की भवन योजनाओं का अनुमोदन/अनुमोदन रिस्पॉन्डनेट नंबर 4 के कार्यालय में जमा किए गए आवेदन को रोका नहीं गया था। याचिकाकर्ताओं ने रुपये के अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया। 10.21 लाख रुपये ब्याज सहित। कुल 1.17 लाख रु. वैसे 11.38 लाख विरोध के तहत और उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बैंक ड्राफ्ट का और विवाद। चूंकि उत्तरदाताओं की कार्रवाई अंदर थी। 1975 अधिनियम और 1976 नियम के प्रावधानों का उल्लंघन और इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिया गया निर्णय भी 2005 की सिविल रिट याचिका संख्या 15 में एम महावीर सिंह बनाम द हरियाणा राज्य और अन्य, याचिकाकर्ताओं ने सिविल रिट याचिका दायर की 2005 की संख्या 12165 अन्य बातों के साथ-साथ की गई मांग को चुनौती देती है। अनुलग्नक पी-5 और साथ ही 23 मई 2005 की अधिसूचना लाइसेंस शुल्क की दरों की अनुसूची नियम 3 की अनुसूची में दी गई है। 1976 के नियमों में कथित तौर पर संशोधन किया गया। एक मसौदा राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 16 फरवरी 2005 को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा जारी किया गया था। विभाग, हरियाणा की दरों की अनुसूची में संशोधन करने का लाइसेंस शुल्क 1976 नियमावली के नियम 3 की अनुसूची में दिया गया है तथा आमंत्रित किया गया है। सुझाव, यदि कोई हो, 30 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले उपर्युक्त प्रारूप अधिसूचना जारी होने की तिथि। याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन पर आपत्तियां प्रस्तुत कीं। पीएचडी चैंबर्स के माध्यम से लाइसेंस शुल्क की दरों में वृद्धि के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 2 प्रतिवादी क्रमांक 1 को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग संशोधन लाते हुए दिनांक 23 मई, 2005 को अधिसूचना जारी की गई। शेड्यूल को फिर से एक नए शेड्यूल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। दर गुड़गांव, फ़रीदाबाद और पंचकुला में क्षेत्रों के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया गया। वृद्धि की गई और शहरी क्षेत्र की एक अन्य श्रेणी, अर्थात् गुड़गांव महरौली शेड्यूल रोड शुरू की गई। इसमें कहा गया था कि संशोधन 25 नवंबर से लागू होगा। 2004. याचिकाकर्ताओं ने इसे एकमात्र चुनौती भी दी। अधिसूचना के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाना बताया गया है 1 सितम्बर 2003 की अधिसूचना के बाद धारा 24। यह न्यायालय प्रस्ताव का नोटिस जारी करने में प्रसन्नता हुई और एक निर्देश पारित किया गया लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार किया जाए अंतिम भुगतान किए गए नवीनीकरण शुल्क के भुगतान पर अंतरिम उपाय के रूप में, बिना याचिकाकर्ताओं के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव अगले आदेशों के अधीन है। इसके बाद उत्तरदाताओं की ओर से लिखित बयान दिया गया। दायर किया गया जिसमें मांग की गई, - अनुलग्नक पी-5 के माध्यम से मांगी गई थी अन्य बातों के साथ-साथ हरियाणा अध्यादेश पर निर्भरता रखकर

झूठ को उचित ठहरानाकथित बढ़ी हुई दर पर लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। तथापि, 2005 का अधिनियम संख्या 4; हरियाणा शहरी विकास एवं विनियमन क्षेत्र (संशोधन और मान्यकरण) अध्यादेश 2005, जो था। 15 जुलाई 2005 को अनुच्छेद 213 के खंड 2 के तहत प्रख्यापित किया गया। भारत का संविधान और ऐसा ही होने का दावा किया गया था। जुलाई को हरियाणा सरकार के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित 15, 2005. उत्तरदाताओं ने उक्त लिखित में आगे दलील दी थी। बयान कि बाद में अधिसूचना दिनांक 13 सितंबर, 2005 जारी किया गया था और लाइसेंस शुल्क उक्त के अनुसार लिया जाना था। अधिसूचना दिनांक 13 सितंबर 2005. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने संपर्क किया। 2006 की एक सिविल रिट याचिका संख्या 247 दायर करके न्यायालय, अध्यादेश और सितंबर की अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है। 13, 2005. हालाँकि, चूंकि अध्यादेश पहले रखा गया था। हरियाणा विकास के रूप में विधान सभा और शहरी क्षेत्रों का विनियमन (संशोधन और मान्यकरण) विधेयक, 2005 और उक्त विधेयक को हरियाणा के राज्यपाल की सहमति प्राप्त हो गई थी। 12 जनवरी 2006 को, जिसकी परिणति अंततः हरियाणा में हुई। शहरी क्षेत्रों का विकास एवं विनियमन (संशोधन एवं) मैसर्स डीएलएफ हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य बनाम 449 हरियाणा राज्य और अन्य (एच.एस. भल्ला, जे.) 450 आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 2007(2) अधिनियम, 2005 के तहत याचिकाकर्ताओं ने उक्त रिट याचिका वापस ले ली। संशोधन अधिनियम को चुनौती देने और रिट दायर करने की स्वतंत्रता के साथ कार्रवाई के एक ही कारण पर. इसे देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की थी। 2005 की सिविल रिट याचिका संख्या 12165 को वापस लेने की मांग की गई द्वारा उसी कारण हेतु नई याचिका दायर करने की अनुमति 2005 के संशोधन अधिनियम को अतिरिक्त चुनौती देते हुए। उपरोक्त स्वतंत्रता प्रदान की गई और अंतरिम आदेश दिनांक 7 अक्टूबर, 2005 था याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कार्य जारी रखने का आदेश दिया गया। उस दिन से तीन सप्ताह की अवधि. यह स्पष्ट रूप से अनुरोध किया गया है कि 1975 अधिनियम और 1976 नियमों की योजना/प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय, आवेदक-लाइसेंसधारी नियम 13 के अनुसार 10% की दर से लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा लाइसेंस जारी करने के लिए नियम 3 के तहत निर्धारित शुल्क। यह आगे है बताया कि लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क नियम 13 में निर्धारित है। 1975 नियम, जो कि नियम 3 में निर्धारित लाइसेंस शुल्क का 10% है। लाइसेंस जारी करने का समय या बिना किसी पूर्वाग्रह के, में निर्धारित है। आवेदन की तिथि 1976 नियमावली में संलग्न अनुसूचित नवीकरण का दावा केवल याचिकाकर्ताओं और किसी भी मांग से किया जा सकता है। इससे परे यह मनमाना और दुर्भावनापूर्ण है और चूंकि कार्रवाई की गई है। निर्धारित सीमा से अधिक लाइसेंस शुल्क वसूलने में अधिकारी महावीर सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा नियमों के तहत रद्द कर दिया गया था। (सुप्रा), निर्णय के प्रभाव को विफल करने के लिए अधिकारी किया गया और उनके कार्यों को अवैध रूप से मान्य किया गया जो अन्यथा थे। अमान्य घोषित कर दिया गया है, संशोधन और सत्यापन के साथ सामने आया है। अध्यादेश की घोषणा के बाद एक मसौदा तैयार किया जाएगा। उत्तरदाताओं द्वारा 26 जुलाई 2005 को अधिसूचना जारी की गई थी। उक्त प्रारूप अधिसूचना में सरकार ने मनमाने ढंग से निर्णय लिया है। कस्बों/शहरी क्षेत्रों को हाइपर पोर्टेंशियल जोन में वर्गीकृत करने का निर्णय, उच्च क्षमता वाला क्षेत्र, मध्यम क्षमता वाला क्षेत्र और निम्न क्षमता वाला क्षेत्र और बिना किसी रोक-टोक के लाइसेंस शुल्क की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ उचित संबंध और आगे बिना किसी आधार और तर्क के. कथित वृद्धि की गई, - वीडिउपरोक्त अधिसूचना का न तो कोई आधार है और न ही कोई औचित्य है पिछली अधिसूचना की तुलना में दो साल की छोटी अवधि में दिनांक 1 सितंबर 2003.(3) दूसरी ओर, याचिका का विरोध किया गया उत्तरदाताओं और प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर लिखित बयान के माध्यम 1 से 4 तक, याचिका में अधिकांश दावे शामिल थे हालाँकि, यह बताया गया कि 2003 की अवधि के दौरान मैसर्स डीएलएफ हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य बनाम 45 हरियाणा राज्य और अन् (एच.एस. भल्ला, जे.) 2004 में वाणिज्यिक लाइसेंसिंग में लगातार बदलाव हुए थे। नीति, यानी, एक स्वतंत्र के लिए अनुमेय क्षेत्र में वृद्धि एक सेक्टर के भीतर वाणिज्यिक कॉलोनी को 2% से 3.5% तक सीमित करना गुड़गांव-महरौली रोड को प्रमुखता से विकसित किया जाएगा। क्षेत्र में वाणिज्यिक सड़क और एफएआर में लचीलापन 150 और 175 के विकल्प में लाइसेंस में अनुरूप शुल्क की आवश्यकता होती है। वाणिज्यिक कालोनियों की शुल्क संरचना। तदनुसार, शुल्क था, सरकार द्वारा 10 अप्रैल, 2003, 22 नवम्बर, 2003 को संशोधित और 19 मई, 2004 और 25 नवंबर, 2004। आगे बताया गया है यह पता चला कि

कॉलोनाइजर को पॉलिसी में लगाए गए शुल्कों से लाभ हुआ था। वाणिज्यिक कॉलोनियों के लाइसेंस देने के लिए मानदंड; शायद अंदर ; में हो सकता है। अनुमेय क्षेत्र में 2% से 3.5% तक की वृद्धि या गुड़गांव-महरोली रोड पर प्रतिबंध और लचीलेपन/वृद्धि का रूपविकल्प 150 और 175 के साथ एफएआर। याचिकाकर्ता को भी लाभ हुआ है। जैसा कि उन्होंने पॉलिसी मापदंडों में इन शुल्कों का लाभ उठाया है। दिनांकित निर्णय के अनुसार बढ़ी हुई फीस का भुगतान करके एफएआर (175) बढ़ाया | 29 अगस्त, 2002 और 1 सितंबर, 2003 को अधिसूचित और वे 2004 का लाइसेंस संख्या 173 (लाइसेंस से जुड़ा हुआ) प्रदान किया गया है। दिनांक 19 मई, 2004 के निर्णय के अनुसार संशोधित लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना | लेकिन 23 मई, 2005 को प्रकाशित हुआ। ये अधिसूचनाएँ अब हैं। लाभ का आनंद लेने के बाद चुनौती दी जा रही है। इसकी और भी वकालत की गई है कि सरकार को अधिनियम की धारा 24 के तहत सशक्त बनाया गया है। 1975 लाइसेंस शुल्क पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए। शुल्क और शुल्क लगाने की सरकार द्वारा विकास को प्रोत्साहित करने वाले कारकों द्वारा निर्देशित किया जाता है अर्थव्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र में। j क्यों शुल्क संरचना राज्य को विभाजित करते हुए अलग-अलग तरीके से निर्धारित की गई है। हाइपर, उच्च, मध्यम और निम्न संभावित क्षेत्र में एक नीति है, शुल्क रखकर कम संभावना वाले क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना न्यूनतम संभव दरों पर संरचना, जबकि गुड़गांव जैसी जगहों पर, फरीदाबाद, पंचकुला जो बहुत उच्च विकास दर का अनुभव कर रहे हैं। रियल एस्टेट विकास में और परिणामस्वरूप निवेश की आवश्यकता हउच्च बुनियादी ढांचे में लाइसेंस शुल्क की मध्यम और निम्न क्षमता वाले क्षेत्र की तुलना में अनुसूची अधिक है।

(4) याचिकाकर्ताओं को 1998 का लाइसेंस संख्या 135 से 144 प्रदान किया गया था। दिनांक 15 नवंबर, 1998 को 2.042 एकड़ क्षेत्र की स्थापना के लिए एक व्यावसायिक कॉलोनी. आवेदक ने विकास कार्य पूर्ण नहीं किया। वैध अवधि के भीतर अर्थात् 14 तारीख तक कॉलोनी का कार्य/निर्माण नवंबर, 2000; इसलिए जवाब देकर उनके लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा रहा है। 452 आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 2007(2) प्रतिवादी संख्या 4 उसके अनुरोध पर और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर नियम 13 के तहत वाणिज्यिक कॉलोनियों के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क रुपये था. 25 लाख प्रति सकल एकड़ और इसे संशोधित कर रु. 50 लाख प्रति सकल बढ़े हुए फ्लोर एरिया अनुपात (संक्षेप में) का विकल्प चुनने वाले कॉलोनाइजर्स के लिए एकड़ "एफएआर, यानी, पहले की अनुमति 150 के मुकाबले 175। शेड्यूल था। अधिसूचित, - अधिसूचना दिनांक 1 सितंबर, 2003 द्वारा और यह था। 29 अगस्त, 2002 से प्रभावी। याचिकाकर्ताओं ने बिना कोई शिकायत उठाए भुगतान करके बढ़े हुए एफएआर के लिए प्रक्रियात्मक मुद्दों का अनुरोध किया गया। की दर से लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की गई। 50 लाख प्रति एकड़ और तदनुसार साइट पर विकास को विनियमित करने वाली ज़ोनिंग योजना को मंजूरी दी गई थी। 12 नवंबर, 2003 को कॉलोनाइजर इस न्यायालय में नहीं आया है। 3. कॉलोनाइजर इस न्यायालय में नहीं आया है। साफ हाथों से क्योंकि उसने दावा किया है कि लाइसेंस शुल्क का भुगतान उसके द्वारा किया गया है। 25 लाख प्रति सकल एकड़ जबकि वास्तव में शर्तें और 12 नवंबर, 2003 को लाइसेंस की शर्तों में बदलाव किया गया। उन्होंने लाइसेंस शुल्क रुपये का भुगतान किया था। बढ़कर प्रति एकड़ 50 लाख रु दूर। इसी अवधि के लिए लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क 10% था। रुपये का 50 लाख प्रति एकड़ न कि रु. 25 लाख प्रति एकड़. बाद में लाइसेंस का नवीनीकरण लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क के भुगतान के अधीन है जैसा कि संबंधित अवधि के लिए निर्धारित है। द्वारा बार-बार प्रयास किया गया। 2005 की सिविल रिट याचिका संख्या 12165 के माध्यम से याचिकाकर्ताओं और वर्तमान रिट याचिका की ओर से शरारती इरादे को दर्शाता है। याचिकाकर्ताओं ने भुगतान न करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। उत्तर देने वाले प्रतिवादी संख्या 4 के बावजूद लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क देय है। जानकारी है कि लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कितनी फीस मांगी जा रही। कानून में निर्धारित और अन्य प्रारंभिक आपत्तियाँ लेकर वीएमटीटेन बयान में उठाए गए, अंततः यह प्रार्थना की गई कि याचिका खारिज कर दिया।

(5) मैंने दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। उनकी सहायता ने मामले के रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

(6) पूरा विवाद किस दर के आसपास घूमता है। याचिकाकर्ताओं जैसे आवेदकों से लाइसेंस शुल्क लिया जाता है। 1975 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपनी भूमि के उपयोगकर्ता में परिवर्तन चाहता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, एक आवेदन 1975 अधिनियम के तहत लाइसेंस को धारा के तहत प्राथमिकता देना आवश्यक है। उक्त अधिनियम के 3. 1975 अधिनियम की धारा 3 यहां निकाली जा रही है। संदर्भ की सुविधा के लिए "धारा 3 लाइसेंस के लिए आवेदन (एल) कोई भी मालिक जो चाहता है। अपनी भूमि को एक कॉलोनी में तब तक परिवर्तित करें जब तक कि इसके तहत छूट न दी जाए। धारा 9, ग्रैन के लिए निदेशक को आवेदन करें। निर्धारित प्रारूप में कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस का इसके लिए आवश्यक शुल्क और रूपांतरण शुल्क का भुगतान करें। आयकर क्लियरेंस प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए।

कि यदि रूपांतरण शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका हो पंजाब अनुसूचित सड़कों के प्रावधानों के तहत और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास पर प्रतिबंध अधिनियम, 1963 (1963 का 41), ऐसा कोई शुल्क देय इस धारा के अंतर्गत नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर निदेशक, अन्य बातों के अलावा, इसकी जांच करेगा

निम्नलिखित मामले, अर्थात्:-

(ए) भूमि का स्वामित्व

(बी) भूमि की सीमा और स्थिति;

(सी) कॉलोनी विकसित करने की क्षमता;

(डी) कॉलोनी का लेआउट;

(ड) क्रियान्वित किये जाने वाले विकास कार्यों के संबंध में योजना बनाना

(च) कॉलोनी की विकास योजनाओं की अनुरूपता पड़ोसी क्षेत्रों की भूमि

(3) उपधारा (2) के तहत जांच के बाद एक आदेश द्वारा लेखन, (ए) निर्धारित प्रपत्र में लाइसेंस प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा निदेशक को एक बैंक प्रस्तुत करने के बाद अनुमान के पच्चीस प्रतिशत के बराबर गारंटी विभाजित भूमि के क्षेत्रफल के मामले में विकास कार्यों की लागत या आवासीय के लिए भूखंडों या प्लेटों में विभाजित करने का प्रस्ताव है, वाणिज्यिक या औद्योगिक उद्देश्य और एक बैंक गारंटी अनुमान के साढ़े सैंतीस फीसदी के बराबर साइबर सिटी या साइबर के मामले में विकास कार्यों की लागत (पार्क उद्देश्य) जैसा कि निदेशक द्वारा प्रमाणित किया गया है:-

(i) निर्धारित प्रपत्र में दिए गए लाइसेंस के अनुसार एक समझौता करना में विकास कार्यों को पूरा करना एवं

(ii) यदि आनुपातिक विकास शुल्क का भुगतान करना हो, उपवाक्य (छ) में परिभाषित बाह्य विकास कार्य धारा 2 का कार्यान्वयन सरकार द्वारा किया जाना है या कोई अन्य स्थानीय प्राधिकारी। जिस अनुपात में और वह समय जिसके भीतर ऐसा भुगतान होना है, निदेशक द्वारा निर्धारित किया जाएगा;

(iii) रख-रखाव की जिम्मेदारी सभी सड़कें, खुले स्थान, सार्वजनिक पार्क और सार्वजनिक स्वास्थ्य की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए सेवाएँ पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करना, जब तक कि पहले राहत न मिली हो, इस जिम्मेदारी की और उसके बाद सभी को स्थानांतरित करने की, ऐसी सड़कें, खुले स्थान, सार्वजनिक पार्क और सार्वजनिक सरकार या सरकार को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ स्थानीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो;

(iv) अपनी लागत पर निर्माण करना, या किसी से निर्माण कराना अन्य संस्था या व्यक्ति अपनी लागत पर, स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र और अन्य समुदाय इस प्रयोजन के लिए अलग रखी गई भूमि पर भवन, या यदि वांछित हो तो किसी भी समय सरकार को हस्तांतरित करना सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटित की गई। स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र और समुदाय, इमारतें, जिस स्थिति में सरकार होगी। ऐसी भूमि को किसी भी

व्यक्ति को हस्तांतरित करने की स्वतंत्रता ऐसी शर्तों पर स्थानीय प्राधिकरण सहित संस्थान और शर्तें जो वह उचित समझे;

(v) निदेशक या प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अनुमति देना उनके द्वारा लेआउट के निष्पादन का निरीक्षण करने हेतु कॉलोनी में विकास कार्य करना और सभी को पूरा करना उन्होंने उचित अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किये लेआउट और विकास के निष्पादन की। उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किया गयादि ए गे लाइसेंस के अनुसार:

बशर्ते निदेशक सुविधाओं का ध्यान रखें जो मौजूद हैं या प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है,स्थानीयता का मानना है कि यह आवश्यक नहीं है या ऐसी एक या अधिक सुविधाएं प्रदान करना संभव हो सकता है,ऐसी सुविधाएं प्रदान करने से लाइसेंस को छूट दी जाए या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से;(बी) बाद में मौखिक आदेश के माध्यम से लाइसेंस देने से इंकार कर देगा आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करना।

(4) इस प्रकार दिया गया लाइसेंस दो अवधि के लिए वैध होगा वर्ष और समय-समय पर एक अवधि के लिए नवीकरणीय होगा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक वर्ष की अवधि:

बशर्ते कि लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी में एक विशेष परियोजना के रूप में अनुमति दी जाए सरकार द्वारा, लाइसेंस एक के लिए वैध होगा अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकरणीय होगा।सरकार द्वारा तय की गई अवधि;

(5) प्रत्येक कॉलोनी के लिए एक अलग लाइसेंस की आवश्यकता होगी।

(6) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है,कि जो स्वामी अपनी भूमि को व्यावसायिक कॉलोनी में परिवर्तित करना चाहता है। याचिकाकर्ताओं की तरह, केवल इस तरह के लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है।"निर्धारित" है। अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए कि "निर्धारित"लाइसेंस प्रदान करने के लिए लाइसेंस शुल्क लाइसेंस के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। 1975 अधिनियम की धारा 24 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा "निर्धारित" शुल्क, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने मेरा ध्यान धारा की ओर आकर्षित किया। 1975 अधिनियम की धारा 2(एन)। 1975 के एक्ट की धारा 2(एन) निकाली जा रही है

यहाँ"2 (एन) 'निर्धारित' का अर्थ है के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारितकार्यवाही करना।"

(7) यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य सरकार अभ्यास कर रही है 1975 अधिनियम की धारा 24 के तहत इसमें निहित शक्तियां जारी की गईं।हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन नियम, 1976 (इसके बाद "1976 नियम" के रूप में संदर्भित), जिसमें नियम 3 संबंधित है। 1975 अधिनियम की धारा 3 के तहत लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन के साथ यहां 1976 के नियमों का नियम 3 निकाला जा रहा है।

3. लाइसेंस के लिए आवेदन (धारा 3 और 24) मैसर्स डीएलएफ हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य बनाम 455 हरियाणा राज्य और अन्य(एच.एस. भल्ला, जे.) 456 आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 20 (1) कॉलोनी स्थापित करने का इच्छुक कोई भी भूमि स्वामी एलसी 1 से निदेशक को लिखित रूप में एक आवेदन करें और उसके साथ निम्नलिखित प्रस्तुत करें:-

(ए) दरों पर लाइसेंस शुल्क के लिए एक डिमांड ड्राफ्ट में दिया गया है,इन नियमों की अनुसूची) प्लॉट की गई कॉलोनी, समूह के लिए हाउसिंग कॉलोनी और वाणिज्यिक/कार्यालय परिसर आवासीय क्षेत्रों और औद्योगिक कॉलोनी के लिए;

(बी) आयकर निकासी प्रमाणपत्र;

(सी) कॉलोनाइजर के रूप में अनुभव की संख्या दिखाते हुए विवरण और पहले से स्थापित या अस्तित्व में आ रही कॉलोनियों का विवरण स्थापित;



(डी) वित्तीय स्थिति के बारे में विवरण (ताकि निर्धारित किया जा सके जिस कॉलोनी के लिए वह है उसे विकसित करने की क्षमता आवेदन करना; और

(ई) निम्नलिखित योजनाएं और दस्तावेज तीन प्रतियों में: -

(i) सभी स्वामित्व विलेखों और अन्य की प्रतियाँ आवेदक की रुचि दर्शाने वाले दस्तावेज़ कॉलोनी के अंतर्गत आने वाली भूमि में सूची सहित ऐसे कार्यों और दस्तावेजों का;

(ii) राजस्व के नाम सहित कॉलोन शजरा योजना की एक प्रति जिसमें स्थान दर्शाया गया है प्रत्येक दाखिल की संपत्ति, खसरा संख्या और क्षेत्र;

(iii) आसपास के संबंध में कॉलोनी का पहचान को सक्षम करने के लिए भौगोलिक विशेषताएं ज़मीन का कम से कम 10 के पैमाने पर एक गाइड मैप सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर तक स्थान दर्शाता है ,

(iv) प्रस्तावित के तहत भूमि की एक सर्वेक्षण योजना 1 सेंटीमीटर से 10 मीटर के पैमाने पर कॉलोनी 30 की दूरी पर स्पॉट लेवल दिखा रहा है मीटर और जहां आवश्यक हो, समोच्च योजनाएं। सर्वेक्षण सीमाएं भी दिखाएगा, और उक्त भूमि के आयाम सड़कों का स्थान, की दूरी पर भवन और परिसर उक्त भूमि का कम से कम 30 मीटर और अस्तित्व में है |

(v) 1 के पैमाने पर कॉलोनी की लेआउट योजना सेंटीमीटर से 10 मीटर तक मौजूदा दिखा रहा है और कॉलोनी तक पहुंच के प्रस्तावित साधन सड़कों की चौड़ाई, भूखंडों, स्थलों का आकार और प्रकार खुले स्थानों, सामुदायिक भवनों के लिए आरक्षित और प्रत्येक के अंतर्गत क्षेत्र वाले स्कूल और प्रस्तावित भूखंडों के सामने और किनारों पर निर्माण रेखाएँ;

(vi) मुख्य बात को समझाने वाला एक व्याख्यात्मक नोट कॉलोनी की विशेषताएं, विशेष रूप से स्रोत संपूर्ण जलापूर्ति व्यवस्था और तूफ़ान के निपटान और उपचार के लिए स्थल और गंदा पानी;

(vii) प्रस्तावित के क्रॉस-सेक्शन दिखाने वाली योजनाएं सड़कें विशेष रूप से चौड़ाई का संकेत देती हैं ,प्रस्तावित परिवहन में साइकिल ट्रेक और फुटपाथ थे, हरित कगारें, विद्युत भूखंडों की स्थिति आदि ऐसी सड़कों से जुड़ा कोई अन्य कार्य;

(viii) आवश्यक उप-खंड (vii) के अनुसार योजनाएँ, में दर्शाया गया है इसके अलावा सीवर, तूफानी पानी की स्थिति भी चैनल, जल आपूर्ति और कोई अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं;

(ix) सड़क कार्यों की विस्तृत विशिष्टताएँ और डिज़ाइन उप-खंड (viii) और अनुमानित लागत के तहत दिखाया गया है

(x) सीवरेज की विस्तृत विशिष्टताएँ और डिज़ाइन, तूफान जल और जल आपूर्ति योजनाएं प्रत्येक की अनुमानित लागत;

(xi) निपटान के लिए विस्तृत विशिष्टताएँ और डिज़ाइन और तूफान और गंदे पानी का उपचार और कार्यों की अनुमानित लागत;

(xii) इलेक्ट्रिक के लिए विस्तृत विशिष्टताएँ और डिज़ाइन स्ट्रीट लाइटिंग सहित आपूर्ति।(2) उपनियम (1) के खंड (ई) में उल्लिखित तीन प्रतियाँ योजनाएँ ,एक सेट माउंटेड के साथ स्पष्ट और सुपाठ्य एज़ो प्रिंट होंगे,मैसर्स डीएलएफ हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य बनाम 457 हरियाणा राज्य और अन्य(एच.एस. भल्ला, जे

(3) यदि आवेदन प्रदान करने से छूट चाहता है ,किसी कॉलोनी में कोई एक या अधिक सुविधाएं, वह देगा तीन प्रतियों में विस्तृत व्याख्यात्मक नोट संलग्न करें |यदि आवश्यक हो तो कारण बताते हुए आवेदन करें,उक्त सुविधा या सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है या नहीं हो सकती है।

(8) 1976 के नियमों के नियम 3(एल)(ए) का अवलोकन, के अनुसार याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने लाइसेंस शुल्क के बारे में बताया |1975 अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रभार्य शुल्क में व्यक्त किया गया है|1976 के नियमों से जुड़ी अनुसूची। उन्होंने अनुसूची का उल्लेख किया| 1976 के नियमों में जोड़ा गया और फिर बताया गया कि दरें भूमि को वाणिज्यिक में परिवर्तित करने के लिए उसमें दर्शाया गया लाइसेंस शुल्क/ कार्यालय परिसरों के लिए लाइसेंस शुल्क शहर के लिए "निर्धारित" है|गुड़गांव का, जो रु. 50 लाख प्रति एकड़ (175 फ्लोर एरिया अनुपात के लिए), और रु. 25 लाख प्रति एकड़ (100 और 150 फ्लोर एरिया अनुपात के लिए)। यह है बताया कि वर्तमान में लाइसेंस शुल्क की दर "निर्धारित" है। 1976 के नियमों से जुड़ी अनुसूची को एक के माध्यम से पेश किया गया था| अधिसूचना हरियाणा सरकार के राजपत्र (अतिरिक्त) में प्रकाशित साधारण) 1 सितंबर, 2003 को। उन्होंने अनुसूची भी बताई है। 1976 के नियमों में संलग्न, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 1 के पश्चात संशोधन/संशोधन सितम्बर, 2003। धारा 3 और के संचयी पाठन पर आधारित 1975 अधिनियम के 2(एन) और नियम 3 संलग्न अनुसूची के साथ पढ़ें|1976 के नियमों के अनुसार, यह दावा किया गया है कि लाइसेंस शुल्क प्रभार्य है। याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व वाली भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए रूपांतरण, शुल्क अनिवार्य रूप से नीचे बनाए गए नियमों द्वारा "निर्धारित" होना चाहिए। 1975 अधिनियम, अर्थात् संलग्न अनुसूची में दर्शाया गया शुल्क ,1976 नियम. उनके तर्क को समर्थन देने के लिए, सीखा याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि नियमों का पालन किया गया है। एक विधायी प्राधिकारी द्वारा निहित शक्ति के प्रयोग के लिए, मान लें। स्वयं विधान प्राधिकारी का बल। तत्काल प्रस्ताव के लिए,याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने सबसे पहले भरोसा जताया है। तमिल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय नाडु बनाम मैसर्स हिंद स्टोन आदि (1) जिसमें सर्वोच्च न्यायालय निम्नानुसार मनाया गया:-

"एक वैधानिक नियम, जबकि हमेशा मूल प्रतिमा के अधीन, अन्यथा, इसे कानून का हिस्सा माना जाएगा | "कानून के तहत बनाए गए नियमों का पालन किया जाना चाहिए। निर्माण या दायित्व के सभी उद्देश्यों के लिए बिल्कुल वैसा वे अधिनियम में थे और उनका प्रभाव भी वैसा ही होगा | अधिनियम में निहित हैं और उन पर सभी के लिए न्यायिक दृष्टि से ध्यान दिया जाना चाहिए। निर्माण या दायित्व के उद्देश्य" (उत्तर प्रदेश राज्य वि. बाबू राम उपध्याय (1961) 2 एससीआर 679 एट पी. 702; वायु 1961 एससी 751); (मैक्सवेल को भी देखें; कद की व्याख्या, 11वां संस्करण. पीपी 49-501)। इसलिए, वैधानिक नियमों का पालन किया गया। संसद द्वारा सौंपी गई शक्ति के अनुसार कानून बनाए जाते हैं। संसद के अनुच्छेद 302 के अर्थ के अंतर्गत संविधान। अन्यथा धारण करना उपेक्षा करना हो सकता है। आधुनिक कानून पर जटिल माँगों की गई, पूर्ण विधायी निकाय को इसका निर्वहन करने की आवश्यकता है। व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित करके विधायी कार्य मानकों, एक गाइड का नेतृत्व करने के लिए जैसा कि यह था, इसे छोड़ देना अधीनस्थ विधायी निकाय विवरण बनाकर भरें। आवश्यक नियम एवं समय-समय पर नियमों में संशोधन करना। सभी के भीतर अप्रत्याशित और अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने के लिए पूर्ण सत्र द्वारा इसे सौंपी गई शक्ति का ढाँचा विधायी निकाय।"

(9) उपरोक्त की पुष्टि के लिए रिलायंस भी रखा गया है,राष्ट्रीय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले पर याचिका इंश्योरेंस लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य (2) जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"यह अब कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि नियम वैध रूप से बनाए गए हैं,कानून का हिस्सा बनें. इसलिए, ऐसे नियम हैं,मुख्य अधिनियम के एक भाग के रूप में पढ़ा जाना आवश्यक है। यह है व्याख्या के लिए कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत भी है। कानून को सभी पर लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए।नियमों के तहत प्रावधान. कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। अधिशेष के रूप में माना जाता है।"

(10) उपरोक्त उल्लिखित निर्णयों के आधार पर यह प्रस्तुत किया जाता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि राज्य सरकार धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नियम होना। 1975 अधिनियम के 24, और उक्त नियमों के माध्यम से "निर्धारित" होने पर,1975 अधिनियम के तहत लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रभार्य लाइसेंस

शुल्क उसी से विचलित नहीं किया जा सकता. दूसरे शब्दों में, विद्वान के अनुसार वकील, उत्तरदाताओं के लिए लाइसेंस शुल्क का दावा करना अनिवार्य था। मैसर्स डीएलएफ हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य बनाम 459 हरियाणा राज्य और अन्य(एच.एस. भल्ला, जे.)

(2) (2004) 3 एस.सी.सी. 297 460 आई.एल.आर. केवल 1976 के नियमों से जुड़ी अनुसूची में दर्शाई गई दरें। मेरे विचार से, विद्वान वकील द्वारा प्रस्ताव रखा गया | याचिकाकर्ता स्वीकार किए जाने योग्य है क्योंकि मुझे वह एक आवेदन लगता है। 1975 अधिनियम के तहत लाइसेंस प्रदान करने के लिए शर्तों का पालन किया जाना है। उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान, 1975 अधिनियम की धारा 3 इसमें स्पष्ट रूप से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकताओं की परिकल्पना की गई है। 1975 के अधिनियम में प्रयुक्त "निर्धारित" का अर्थ नियमों द्वारा निर्धारित होगा। 1975 अधिनियम के तहत बनाया गया। धारा 24 के तहत केवल नियम बनाए गए हैं। 1975 अधिनियम के निर्विवाद रूप से 1976 नियम हैं, जिसमें नियम 3 इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाइसेंस प्रदान करने के लिए शुल्क लिया जाएगा। 1975 अधिनियम की धारा-3 के तहत लाइसेंस, व्यक्त दरों पर होना है। 1976 के नियमों से जुड़ी अनुसूची में। आगे मंत्र श्रेयूल करें। ताकि भूमि के उपयोग को परिवर्तित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया जा सके। गुड़गांव में एक वाणिज्यिक/कार्यालय परिसर, अनुसूची के साथ संलग्न 1976 नियम (1 सितंबर, 2003 को संशोधित), कुल राशि निर्धारित करता है। रु. 175 फ्लोर एरिया अनुपात के लिए 50 लाख प्रति एकड़ और रु. 25 लाख प्रति एकड़ 100 और 150 मंजिल अनुपात के लिए। लाइसेंस शुल्क की उपरोक्त दरें दर्शाई गई हैं। मेरे विचार से, अनुसूची में कानून की दृष्टि से कानूनी बल है। तमिलनाडु राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित (सुप्रा) और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामला (सुप्रा)। लाइसेंस शुल्क आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ताओं से शुल्क लिया जाएगा। 1975 अधिनियम की धारा 3 के तहत उनके द्वारा पसंदीदा, इसलिए, मेरे में दृश्य लाइसेंस की "निर्धारित" दरों से भिन्न नहीं हो सकता। अनुसूची 1976 के नियमों से जुड़ी हुई है। कोई प्राधिकार निहित नहीं। मंत्रिपरिषद अनुसूची में निर्धारित लाइसेंस शुल्क में परिवर्तन करेगी। 1976 के नियम और इस प्रकार, मंत्रिपरिषद के निर्णय उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा संदर्भित नहीं किया गया है।

(11) इस स्थिति का सामना करते हुए, के लिए विद्वान वकील उत्तरदाताओं ने पुरजोर ढंग से तर्क दिया है कि प्रारंभ में शुल्क के लिए लाइसेंस शुल्क वाणिज्यिक कॉलोनियों/कार्यालय परिसरों में भूमि के उपयोग की सीमा निर्धारित की गई थी। मंत्रिपरिषद के निर्णय द्वारा प्रति एकड़ 25 लाख रु. परिषद मंत्रियों ने भूमि के उपयोग को वाणिज्यिक में बदलने के मुद्दे की समीक्षा की। 11 नवंबर, 1999 को कॉलोनियां/कार्यालय परिसर। इस समय, मंत्रिपरिषद ने केवल दो को अनुमति देने का प्रतिबंध हटा दिया। किसी सेक्टर में वाणिज्यिक लाइसेंस अनुमेय सेक्टर क्षेत्र के रूप में वाणिज्यिक लाइसेंसिंग के लिए उपलब्ध सुविधाओं का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा था। दोबारा 29 अगस्त, 2000 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में, के लिए अनुमेय फर्श क्षेत्र अनुपात को बढ़ाने का निर्णय लिया गया, 150 से 175 तक वाणिज्यिक कॉलोनियां। इस समय, यह भी था। लाइसेंस शुल्क को 200 रुपये से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 25 लाख से रु. 50 लाख प्रति एकड़, लेकिन स्थापना की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक कॉलोनियों में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। 10 अप्रैल, 2003 को अनुमेय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। सेक्टर क्षेत्र के 2% से 3% तक वाणिज्यिक लाइसेंसिंग और तदनुसार, इसने लाइसेंस शुल्क को रुपये से बढ़ाने का भी निर्णय लिया। 50 लाख से रु. 75 प्रति एकड़ लाख. विज्ञापन के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में लाइसेंसिंग नीति, यह महसूस किया गया कि सेक्टर क्षेत्र सटा हुआ है। गुड़गांव में गुड़गांव महरौली रोड के लिए अत्यधिक संभावनाएं बन गई थीं | इस स्थान की विशिष्ट क्षमता को देखते हुए, मंत्रिपरिषद इसमें शामिल है। 22 नवंबर, 2003 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि यह खंड समाप्त हो गया है | गुड़गांव महरौली रोड जो सेक्टर 24, 25, 25-से होकर गुजरती है। ए, 26 और 28 को आनुपातिक क्षेत्र सीमा से अप्रतिबंधित किया जाए, वाणिज्यिक लाइसेंसिंग के प्रयोजन और इसके लिए प्रभार्य लाइसेंस शुल्क गुड़गांव के साथ-साथ वाणिज्यिक कॉलोनियों/कार्यालय परिसरों का निर्माण महरौली रोड को बढ़ाकर रु. प्रति एकड़ 1.5 करोड़ रु. फलस्वरूप, 19 मई, 2004 को मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे बढ़ाया गया। वाणिज्यिक कॉलोनियों/कार्यालय परिसरों के लिए लाइसेंस शुल्क समान रूप से रु. गुड़गांव महरौली रोड पर प्रति एकड़ 1.5 करोड़ रु. 1 करोड़ प्रति अन्य सड़कों पर एकड़

(12) इस स्तर पर, यह जांचना आवश्यक है कि क्या लाइसेंस शुल्क की दरें तय करने में मंत्रिपरिषद का निर्णय 1976 के नियमों द्वारा निर्धारित लाइसेंस शुल्क से अधिक हो सकता है 1975 अधिनियम की धारा 24 के तहत? तत्काल प्रश्न का उत्तर प्रस्तुतियाँ से निपटने के दौरान मेरे द्वारा पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कथन नकारात्मक है। यह किया गया है। निष्कर्ष निकाला कि लाइसेंस शुल्क की दरें संलग्न अनुसूची में दर्शाई गई हैं। 1976 के नियमों में कानून का बल और अधिकार है, कोई कार्यपालिका नहीं चाहे उसका कद या प्राधिकार कुछ भी हो, प्राधिकारी उससे आगे निकल सकता है। लाइसेंस शुल्क 1976 से जुड़ी अनुसूची में "निर्धारित" है। नियम (निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके) ही दावा किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं जैसे आवेदकों से। इसलिए, संक्षेप और सार में, अनुसूची में "निर्धारित" लाइसेंस शुल्क में संशोधन/संशोधन करना [1976 के नियमों में संलग्न, का पालन करना अनिवार्य होगा] 1975 अधिनियम की धारा 24 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, और जब तक कि उक्त प्रक्रिया का पालन किया जाता है, "निर्धारित" शुल्क में बदलाव नहीं किया जा सकता है, नहीं, यहां तक कि मंत्रिपरिषद द्वारा भी. शक्ति और प्रक्रिया टी = 1975 अधिनियम के तहत नियम बनाने का वर्णन धारा 24 में किया गया है। 1975 अधिनियम की धारा 24 यहां निकाली जा रही है। इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के "नियम बनाने की शक्ति (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन नियम बनायें इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए।

(2) विशेष रूप से और व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पूर्वगामी शक्ति, ऐसे नियम सभी या किसी के लिए प्रदान कर सकते हैं।

(ए) शुल्क, प्रपत्र और आवेदन करने का तरीका धारा 3 की उपधारा (1) के तहत लाइसेंस प्राप्त करना

(बी) धारा 3 उपधारा (3) के तहत लाइसेंस समझौते का प्रपत्र

(सी) उपधारा के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण के अनुदान के लिए शुल्क

(डी) धारा 4 के तहत बनाए जाने वाले रजिस्ट्रों का प्रपत्र;

(ई) उपधारा के तहत रखे जाने वाले खातों का प्रपत्र

(2) धारा 5 का;

(एफ) धारा 6 की उपधारा (2) के तहत खातों का ऑडिट कराने का तरीका;

(छ) धारा 8 की उपधारा (3) के तहत भूखंड धारकों को किस प्रकार प्राथमिकता दी जानी है;

(ज) धारा 9 की उपधारा (2) के तहत आवेदन करने का प्रारूप और तरीका;

(i) तैयारी के संबंध में कोई अन्य मामला योजनाओं का प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन।

(3) इस अधिनियम के तहत बनाए गए सभी नियम यथाशीघ्र रखे जाएंगे। उनके बनने के बाद, राज्य की सभा के समक्ष तो इससे कम अवधि के लिए नहीं विधानमंडल जब सत्र में होता है तो इससे कम अवधि के लिए नहीं चौदह दिनों से अधिक, जिसे एक सत्र में शामिल किया जा सकता है। या लगातार दो सत्र, और यदि, की समाप्ति से पहले जिस सत्र में वे रखे गए हैं या तुरंत सत्र निम्नलिखित, राज्य विधानमंडल का सदन कोई भी बनाता है। संशोधन, संकल्प के ऐसे किसी भी नियम में ऐसा कोई भी मैसर्स डीएलएफ हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य बनाम 463 हरियाणा राज्य और अन्य (एच.एस. भल्ला, जे.) नियम नहीं बनना चाहिए ऐसे नियम उसके बाद बनेंगे। केवल ऐसे संशोधित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा कोई प्रभाव नहीं डालेगा। हालाँकि, हो सकता है कि ऐसा कोई संशोधन या रद्दीकरण की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। इसके तहत पहले कुछ भी किया गया हो।"

(13) 1975 अधिनियम की धारा 24, यह सब स्पष्ट रूप से बताती है। नियम बनाने की शक्तियाँ राज्य सरकार में निहित हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित को पहले निर्धारित किया जाना आवश्यक है। राज्य विधानमंडल (यानी हरियाणा विधान सभा), जबकियह कम से कम चौदह दिनों की अवधि के लिए सत्र में है। 1975 अधिनियम की धारा 24(3) मेरे हिसाब से ये अनिवार्य है। प्रक्रिया के घटक, के तहत नियम तैयार करने की प्रक्रिया में 1975 अधिनियम. हरियाणा विधानसभा संशोधन कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा इसके समक्ष रखे गए प्रस्तावित नियमों में (अन्तर्गत) 1975 अधिनियम की धारा 24(3)। राज्य विधानमंडल इसका समाधान कर सकता है। उपरोक्त विचा के दौरान प्रस्तावित नियम समक्ष रखा गया। हालाँकि, राज्य विधानमंडल को संशोधित नहीं किया गया है, राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित नियम माने जाएंगे (धारा के तहत)। 1975 अधिनियम की धारा 24(3)। और यदि वही संशोधित हैं, संशोधित नियम राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित नियम माने जायेंगे। (1975 अधिनियम की धारा 24(3) के तहत)। प्रस्तावित नियमों को मंजूरी राज्य विधानमंडल द्वारा (या मान्य रूप से अनुमोदित), लागू करने योग्य हैं, केवल उनके प्रकाशन और अधिसूचना पर (धारा 24(1) के तहत) 1975 अधिनियम)। मेरे अनुसार, यह एक अन्य अनिवार्य घटक है। 1975 अधिनियम के तहत नियम बनाने की प्रक्रिया में भले ही तर्क-वितर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि निर्णय लाइसेंस शुल्क को संशोधित करने में मंत्रिपरिषद का गठन राज्य सरकार के प्रस्तावित नियम लागू करने योग्य नहीं हैं। जब तक 1975 अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रक्रिया की परिकल्पना नहीं की जाती है। इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। जब तक राज्य विधानमंडल प्रस्तावित को मंजूरी नहीं दे देता (या मानद मंजूरी नहीं दे देता)। नियम, और आगे जब तक अनुमोदित नियम प्रकाशित और अधिसूचित नहीं हो जाते। इसमें कोई विवाद नहीं है कि मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव हैं। स्वीकार्य रूप से राज्य विधानमंडल के समक्ष नहीं रखा गया (के संदर्भ में)। 1975 अधिनियम की धारा 24(3) की आवश्यकता)। यह इसलिए है, स्पष्ट है कि राज्य विधानमंडल ने आज तक इस पर विचार नहीं किया है कि क्या प्रस्ताव मंत्री परिषद के हाथों में हैं। वे जैसे हैं वैसे ही स्वीकृत किए जाएं, इससे पहले कि वे संशोधित हों, उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता है। स्वीकार किया गया है, या सिरे से खारिज किए जाने योग्य है (आवश्यकताओं के संदर्भ में)। 1975 अधिनियम की धारा 24(3) का)। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अवसर उक्त प्रस्तावों के प्रकाशन एवं अधिसूचना हेतु (नियमानुसार) अधिनियम 1975 की धारा 24(1) की आवश्यकता ही उत्पन्न नहीं होती। मामला. इसलिए, यह स्पष्ट है कि निर्णयों की श्रृंखला तात्कालिक मंत्रिपरिषद के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित उत्तरदाताओं को नियमों की स्थिति ग्रहण करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 1975 अधिनियम के तहत बनाया गया।

(14) अब मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, यह याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि चूंकि उत्तरदाताओं ने मांग की थी। याचिकाकर्ताओं से 10 प्रतिशत की दर से नवीनीकरण लाइसेंस शुल्क वसूलें कथित लाइसेंस शुल्क के अलावा और जो था उससे अधिक 1975 अधिनियम, 1976 नियमों और के उल्लंघन में भी 'निर्धारित' उपरोक्त उद्धृत कानून के उल्लंघन में, याचिकाकर्ताओं ने सिविल रिट दायर करके उक्त कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया 2005 की याचिका संख्या 12165। हालाँकि, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, अधिकारी संशोधन और सत्यापन अधिनियम लेकर आए। याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान याचिका में कार्रवाई को चुनौती दी है। उत्तरदाताओं द्वारा अपने अवैध और मनमाने कार्यों को वैध बनाने में, इस न्यायालय द्वारा अन्यथा किन कार्यों को अवैध माना गया है। एक अन्य फैसले में अवैधता को हटाए बिना यह तयशुदा कानून है। राज्य अमान्य पाए गए कार्यों को मान्य कर सकता है, बशर्ते यह उस संबंध में बताए गए दोषों को दूर करता है। विद्वान अधिवक्ता हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले जनरल ने प्रस्तुत किया है कि लाइसेंस प्रदान करते समय भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क तब तक लागू होता है। लाइसेंस की वैधता और लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए भुगतान की आवश्यकता होती है। नियम 13 के तहत निर्धारित लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा कर दिया गया है। लाइसेंस शुल्क की दर 10 अप्रैल 2003 से लागू होगी। 22 नवंबर, 2003 और 19 मई, 2004 को इसका हिस्सा बनाया गया है। अनुसूची के रूप में सत्यापन खंड और कोई संशोधन नहीं 1975 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान में ऐसा करना आवश्यक था। लाइसेंस शुल्क अनुसूची के सत्यापन और, जैसे, सत्यापन अधिनियम, 2005 को उपलब्ध बिजली के अनुरूप बनाया गया है। भारत के संविधान के तहत राज्य विधानमंडल। यह और भी हो गया है तर्क दिया कि यह न्यायालय सिविल रिट में इसी

तरह के मामले में विचार-विमर्श कर रहा है। 1997 की याचिका संख्या 5036 मेसर्स त्रिशुई इंडस्ट्रीज बनाम राज्य सरकार हरियाणा और अन्य, (3) रूपांतरण शुल्क लगाने से संबंधित पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र प्रतिबंध के तहत अनियमित विकास अधिनियम, 1963 में अपनाये गये सरकार द्वारा तर्कहीन या मनमाना मापदण्ड नहीं पाये गये। राज्य वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया कि संशोधन के आधार पर और मान्यता अधिनियम, राज्य विधानमंडल ने अनुसूची में ही संशोधन कर दिया है। जो संशोधन और मान्यता अधिनियम का हिस्सा है और इस प्रकार यह नहीं हो सकता। उसके संबंध में चुनौती पूछताछ के लिए बुलाया जाए और याचिकाकर्ताओं ने कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

(15) मेरी राय में, इसके विभिन्न प्रावधानों के अवलोकन से 1975 अधिनियम, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा बताया गया दोष था। कि केवल नियमों द्वारा 'निर्धारित' लाइसेंस शुल्क ही लिया जा सकता है और इसे केवल नियमों में किए गए संशोधन द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। धारा 24 के तहत परिकल्पित दो अनिवार्य सामग्रियों का पालन करना, 1975 के अधिनियम के अनुसार, वह अधिसूचना और पिछले प्रकाशन द्वारा और द्वारा, इसे राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष रखना प्रतिवादी-राज्य फैसले के प्रभाव को संशोधित करने की चिंता में है। इस न्यायालय ने संशोधन और वैधीकरण अधिनियम पेश किया है। अपने अवैध कृत्यों को मान्य करने के लिए। हालाँकि, संशोधन के आधार पर भी, जो सामग्रियां अनिवार्य हैं उन्हें खत्म नहीं किया गया है। धारा 24 में उपधारा (1) और (3) में संशोधन किया गया। संशोधन और मान्यकरण अधिनियम के गुण इस प्रकार हैं: "धारा 24(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा शासकीय राजपत्र, पूर्व की शर्तों के अधीन प्रकाशन, के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाएं। यह अधिनियम उन्हें संभावित और पूर्वव्यापी प्रदान कर सकता है।

(3) इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को यथाशीघ्र लागू किया जाएगा। राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के बाद, जबकि यह सेशन में है।

(16) असंशोधित उपधारा (1) के समक्ष तुलना होगी। दिखाएँ कि केवल शब्द "और उन्हें संभावित और दे सकते हैं। पूर्वव्यापी प्रभाव" जोड़ा गया है और उप-धारा (3), निम्नलिखित है। "सत्र" शब्द के बाद का भाग असंशोधित से हटा दिया गया है। "कम से कम चौदह दिनों की अवधि के लिए, जो भी हो सकता है। एक सत्र या लगातार दो सत्रों में शामिल, और यदि, उस सत्र की समाप्ति से पहले जिसमें वे इतने लाई हैं। या तुरंत बाद का सत्र, राज्य का सदन विधानमंडल ऐसे किसी भी नियम में कोई संशोधन करता है या संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, जैसे इसके बाद नियम केवल ऐसे संशोधित रूप में ही प्रभावी होंगे जैसी भी स्थिति हो, रूप में या प्रभावहीन हो, फिर भी, वह ऐसे किसी भी संशोधन या रद्दीकरण के बिना होगा।

(17) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलेगा कि अनिवार्य है, नियमों में संशोधन के लिए जिन सामग्रियों का पालन करना आवश्यक है। संशोधन के आधार पर भी अभी भी बरकरार रखा गया है। वहाँ राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष रखा गया। अधिसूचना और पिछला प्रकाशन होना चाहिए और उन्हें होना ही चाहिए। मौजूदा मामले में, पिछले प्रकाशन के अधीन न तो कोई अधिसूचना है। संलग्न अनुसूची में उल्लिखित दरों के संबंध में संशोधन एवं विधिमान्यकरण अधिनियम में मान्यकरण खंड न ही है। इस प्रकार, उत्तरदाताओं उक्त अनुसूची के आधार पर अपने पिछले कार्यों को मान्य नहीं कर सकते, जोयह सत्यापन खंड का हिस्सा है न कि संशोधन का।

(18) हालाँकि, सत्यापन खंड से पता चलता है कि की कार्रवाई सरकार अनुसूची में उल्लिखित दरें वसूलने में सत्यापन खंड के साथ संलग्न उक्त दरों को वैध बना दिया गया है। 1976 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार शुल्क लिया जाता है, जो वास्तव में गलत है। संशोधन के अवलोकन से ही पता चलता है, कि बनाने की प्रक्रिया का पालन करने में अनिवार्य सामग्री/उन नियमों को संशोधित करें जिनमें शुल्क 'निर्धारित' है, जिनका अनुपालन अभी भी किया जाना बाकी है। चूंकि न तो कोई नोटिफिकेशन हुआ था और न ही पूर्व में संलग्न अनुसूची में दी गई दरों के संबंध में प्रकाशन सत्यापन खंड के लिए और न ही इन्हें सदन के समक्ष रखा गया था। पूर्व में उक्त शुल्क वसूलने में राज्य सरकार की कार्रवाई नहीं हो सकती। यह एक स्थापित कानून है जिसे राज्य मान्य कर

सकता है। कार्रवाइयाँ केवल तभी अमान्य पाई जाती हैं जब वह बताई गई कमियों को दूर कर देती है। उस संबंध में मेरा यह तर्क कानून द्वारा भी समर्थित है निम्नलिखित प्राधिकारियों में निर्धारित किया गया है।

(ए) अहमदाबाद नगर पालिका बनाम द न्यू श्रॉक

(बी) तमिलनाडु राज्य बनाम एम रायप्पा (5)।

(सी) जनपद सभा बनाम मध्य प्रांत

सिंडिकेट (6).

(डी) भुवनेश्वर सिंह बनाम भारत संघ (7)।

(ई) इंडियन एल्युमीनियम कंपनी बनाम केरल राज्य

(8).

(19) शीर्ष न्यायालय द्वारा तय कानून के आलोक में कि राज्य अमान्य पाए गए कार्यों को केवल तभी पुनः मान्य कर सकता है जब वह 'हटा दे' उस संबंध में जो खामियां बताई गईं। जैसा कि मांगा गया सत्यापन खंड में संशोधन और मान्यकरण अधिनियम में शामिल किया जाएगा। तात्कालिक मामले को सद्गुण के आधार पर भी टिके रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किए गए संशोधन में से दो अनिवार्य हैं, सामग्री, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभी भी मौजूद है और बरकरार रखी गई है। इस प्रकार, लाइसेंस शुल्क में वृद्धि जैसा कि अनुसूची में दर्शाया गया है। सत्यापन खंड में संलग्न होने के बाद से कानून का कोई बल नहीं है, न ही कोई अधिसूचना संबंध में पिछले प्रकाशन के अधीन है, न तो उन्हें कभी बनाया गया है और न ही उन्हें किसी सदन के समक्ष रखा गया है, राज्य विधानमंडल का, जो राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। नए संशोधन के आधार पर ऐसा करना आवश्यक है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, उत्तरदाताओं का रुख था हुआ यह है कि लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी कई तरह से की गई है। 10 अप्रैल, 2003, 22 मई, 2003, 19 मई, 2004 को बैठकें 25 नवंबर, 2004 जिसे डिवीजन द्वारा रद्द कर दिया गया है। इस न्यायालय की पीठ ने उस मामले में निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए। प्रतिवादी-राज्य ने फिर से कहा है कि लाइसेंस शुल्क को संशोधित किया गया था। सरकार द्वारा 10 अप्रैल, 2003, 22 मई, 2003, 19 मई, 2004 और 25 नवंबर, 2004 को लागू करने का प्रयास किया है। पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई चर्चा के आलोक में इसकी भी अनुमति नहीं है।

(20) विद्वान राज्य वकील का प्रस्तुतीकरण कि द्वारा संशोधन और मान्यता अधिनियम, राज्य विधानमंडल के आधार पर अनुसूची में ही संशोधन किया है जो संशोधन का हिस्सा है और वैधीकरण अधिनियम और इस प्रकार प्रश्न के लिए नहीं बुलाया जा सकता, कानूनी रूप से और है। तथ्यात्मक रूप से गलत। यह संशोधन एवं मान्यकरण से स्पष्ट है। अधिनियम कि केवल धारा 24(1) और (3) में संशोधन किया गया है, 1976 के नियमों की अनुसूची, जो 1976 के नियमों का हिस्सा है। संशोधन और मान्यकरण अधिनियम, नियमों के बारे में एकमात्र उल्लेख जिस पर लाइसेंस शुल्क लिया जाना है, उसमें प्रावधान किया गया है। सत्यापन खंड और अनुसूची सत्यापन खंड का हिस्सा है। किसी विशेष चीज़ में संशोधन करना और किसी विशेष कार्रवाई को मान्य करना, पर उक्त संशोधन का आधार, दो अलग-अलग चीजें हैं। संशोधन करके और दोष दूर करके किसी कार्रवाई को मान्य करें। हालाँकि, यदि कोई विशेष कार्य किसी विशेष में किया जाना तय किया गया है। तरीके से और यहां तक कि एक संशोधन के आधार पर, करने का तरीका अमुक वस्तु को अक्षुण्ण रखा गया है तो कोई हो ही नहीं सकता का पालन किए बिना किए गए कार्यों का प्रक्रिया और ढंग जिससे उन्हें करना अपेक्षित है। न्यायपालिका समीक्षा संविधान की मूलभूत विशेषताओं और मान्यता में से एक है। खंड ने अवैध रूप से तलाश के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उत्तरदाताओं के कार्यों की न्यायिक समीक्षा। ऐसी स्थिति है, न केवल मनमाना और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है बल्कि असंवैधानिक भी है।

(21) यहां तक कि मामले में उत्तरदाताओं द्वारा उद्धृत निर्णय भी मेसर्स त्रिशूल इंडस्ट्रीज (सुप्रा) उनके बचाव में नहीं आती है। इसके विपरीत, यह याचिकाकर्ताओं के तर्क का समर्थन करता है। चूँकि यह उक्त में विद्वान राज्य

वकील का प्रस्तुतीकरण था। निर्णय जैसा कि पैरा 11 में उल्लेखित है कि इसकी खंडपीठन्यायालय उस स्थिति से निपट रहा था, मेसर्स त्रिशूल इंडस्ट्रीज का मामला जो अलग है।

(22) इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं पर बिना किसी पूर्वाग्रह के जैसा कि ऊपर कहा गया है, सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि लाइसेंस शुल्क 'क्रिड-प्रो-को' के आधार पर शुल्क लिया जाना है। पेटर्स भी वजन उठाते हैं। लाइसेंस शुल्क एक नियामक शुल्क है। लाइसेंसधारी की लेवी और के बीच उचित सह-संबंध होना चाहिए। उद्देश्य जिसके लिए 1975 अधिनियम और 1976 नियम के प्रावधान सक्रिय कर दिया गया है और वास्तव में इस पर विचार करके समर्थन किया जाना है। सेवा प्रतिदान में प्रदान की जाती है और इस प्रकार इसमें 'क्रिड' का एक तत्व होना चाहिए। शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्ति और सार्वजनिक प्राधिकरण के बीच समर्थन 'जो इसे थोपता है। वर्तमान मामले में, उत्तरदाता विफल रहे हैं। शुल्क में रुपये से कथित वृद्धि का कोई कारण बताएं। 50,00 लाख दिनांक 1 की अधिसूचना के आधार पर नियमों द्वारा विधिवत निर्धारित सितंबर, 2003 आवासीय में वाणिज्यिक/कार्यालय परिसर के संबंध में सेक्टरों के लिए 175 एफएआर से रु. 2 करोड़ का पोर्ट बढ़ाया गया है। लाइसेंस 1975 अधिनियम के तहत भुगतान किया गया शुल्क केवल एक शुल्क है, कर नहीं और ऐसा नहीं हो सकता, समान किया जाए और राज्य के लिए राजस्व अर्जित करने का स्रोत बनाया जाए। वास्तव में, लाइसेंस शुल्क की इतनी अधिक दर वसूलना विपक्ष है: 1975 अधिनियम के उद्देश्य के लिए। 1975 का अधिनियम एक राजकोषीय कानून नहीं है। इसकी वस्तु इसका उद्देश्य केवल नियोजित विकास सुनिश्चित करना और बेतरतीबी से बचना है। हरियाणा राज्य में शहरों और उसके आसपास विकास। हालांकि, अधिकारियों ने अपनी सनक और पसंद के अनुसार प्रतिसाद दिया। 1975 अधिनियम के उद्देश्य की घोर अवहेलना करते हुए और बिना किसी आधार के, लाइसेंस शुल्क में वृद्धि कर रहा था और इस प्रकार इसका दुरुपयोग किया गया था। विधायिका उस संबंध में अलग राजकोषीय कानून और प्रावधान प्रदान किए गए हैं। 1975 अधिनियम का उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। यह तर्क मेरा समर्थन सरकार में उद्धृत प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। आंध्र प्रदेश बनाम हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (9), और ए.पी. पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और दूसरा (10)।

(23) उत्तरदाताओं द्वारा बिना किसी आधार के शुल्क में वृद्धि करना उचित है। संशोधन और मान्यकरण अधिनियम दिनांक 15 से संलग्न अनुसूची जुलाई, 2005, - जिसके तहत गुड़गांव में गिरने वाले क्षेत्रों के लिए शुल्क, फ़रीदाबाद और पंचकुला के लिए 175 रुपये एफएआर निर्धारित है। एक करोड़ और गुड़गांव महारौली रोड शेड्यूल के लिए 175 एफएआर निर्धारित रु. 1.5 करोड़ 19 मई 2004 से प्रभावी किया गया है। इस बीच, दिनांक 26 जुलाई, 2005 की मसौदा अधिसूचना और द आक्षेपित अधिसूचना दिनांक 13 सितंबर, 2005 (अनुलग्नक पी-14), फीस की दर बढ़कर 100 रुपये हो गई है। गुड़गांव-महारौली पर 4 करोड़ 175 एफएआर के लिए सड़क और किसी अन्य सड़क पर, 175 एफएआर से रु. 2.5 करोड़। उत्तरदाताओं ने कहीं भी भारी वृद्धि की व्याख्या नहीं की है, लाइसेंस शुल्क वसूलने की मांग की गई।

(24) ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका है, आंशिक रूप से अनुमति। सत्यापन खंड को हटा दिया गया है और दिनांक 20 मई 2005 (अनुलग्नक पी-5) को निरस्त किया जाता है। हालांकि संशोधन और मान्यता अधिनियम के आधार पर किया गया संशोधन है। बरकरार रखा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता इसे पूरा करते हैं पात्रता मानदंड, उत्तरदाताओं को उन्हें लाइसेंस जारी करना होगा।

एम'-एस डीटी.एफ ली-वी. '>mi और Cor:--' ■' C ion Ltd. और दूसरा वी. 469

S'.at-v ofHarvTr:.- ■.<<! अन्य

(एच.एस. भैया जे.)

आर.एन.आर.

(9) एआईआर 1975 एस.सी. 2037 (पैरा 19, 20, 21 एवं 22



अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित दनणणय वािी के सीदमत उपयोग के दिए है तादक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और दकसी अन्य उद्देश्य के दिए इसका उपयोग नहीं दकया जा सकता है । सभी व् यवहाररक और आदिकाररक उद्देश्यो के दिए दनणणय का अींग्रेजी सीस्करण प्रमादणक होगा और दनष्पािन और कायाणन्वयन के उद्देश्य के दिए उपयुक्त रहेगा ।

रेणू बाला

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

कुरुक्षेत्र